सतविन्द्र कौर बनाम बेअंतसिंह आदि (8)

तारीख हुक्म	प्रकरण सं. 285/2023 2/2 RTA हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 उपस्थित। बहस अप्रार्थी पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दिनांक 21.11.2023 को अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि अप्रार्थी के उपस्थित होने पर बहस हेतु बाध्य होंगे लेकिन बहस हेतु अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं आये व नही तलबी करवाई गई एंव इस हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को 21.10.2024 को नोट भी करवाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के उपस्थित न होने पर बहस अप्रार्थी सुनी गई। प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर निर्णीत करना आवश्यक समझते है 1. प्रथम दृष्ट्या मामला:- पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी चक 3 ARW खाता सं. 65 में दर्ज आराजी 7.439 है. प्रार्थी ... अप्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार ... बैनामा दिनांक 29.6.2021 के अनुसार अप्रार्थी सं. 15 ने अप्रार्थी संख्या 01 बेअंत सिंह से उक्त आराजी में से 0.759 है. क्रय की है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

अप्रार्थी संख्या 15 ने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकन किया है कि उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी अपने नाम करवा खाता विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या ने 0.759 है. भूमि सप्रतिफल क्रय की है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार किसी सक्षम न्यायालय में आक्षेपित नहीं है दूसरे प्रार्थीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा. का. अ. न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमे अभिलिखित काश्तकारों के मध्य बंटवारा होना है। संयुक्त काश्तकारी में कोई अभिलिखित काश्तकार अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग - उपभोग हेतु स्वतन्त्र है वहीं अभिलिखित काश्तकार होने के कारण प्रार्थीया खाता - विभाजन की भी अधिकारिणी है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला आंशिक रूप से ही प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है।

सुविधा का सन्तुलन:-

चूंकि प्रार्थीया अभिलिखित काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण विधिवत् विभाजन करवाये बिना वादग्रस्त आराजी को रहन- बैय करते है तो प्रार्थीया को असुविधा हो सकती है वहीं चूंकि अप्रार्थी संख्या 15 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अप्रतिकूल क्रय की है, यदि अप्रार्थी का नामान्तरण दर्ज नहीं होता है अप्रार्थी को भी असुविधा हो सकती है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में आंशिक रूप से सिद्ध होता है।	
अपूर्णनीय क्षति: चूंकि दावा अन्तर्गत खाता विभाजन न्यायालय हाजा में विचाराधीन है यदि विशिष्ट भू-भाग का बेचान आदि अप्रार्थीगण द्वारा किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है वहीं पंजीकृत बैयनामे के आधार पर अप्रार्थी सं. 15 का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं आता है तो अप्रार्थी संख्या 15 को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है।	
अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि वे 3 ARW के खाता... 7.439 है. में बिना विभाजन कराये विशिष्ट भू-भाग, किलें ता-फैसला वाद रहन-बैय, अंतरण से निषिद्ध रहें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

हिस्सा अनुसार अप्रार्थीगण अपनी आराजी रहन, बैय, अंतरण के लिये स्वतन्त्र है। अप्रार्थी संख्या 15 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निष्पादित बैयनामें के नामान्तरण, अमल-दरामदगी पर यह स्थगन प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली इसी अनुसार निर्णय शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested